

वन विभाग हरियाणा

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी परिमण्डल,
हवाई अड्डा रोड, नजदीक मिल गेट, हिसार, हरियाणा 125001

दूरभाष / फ़ैक्स नं० 01662.259489

email address-wstcrcl@yahoo.com

क्रमांक FCA / 2171

दिनांक 13/12/2021

सेवा में,

वन मण्डल अधिकारी,
हिसार।

विषय :- Diversion of 0.0251 Ha. of forest land for access of existing retail outlet (Petrol Pump) of HPCL on Hisar-Barwala Road (NH-65) at Village Barwala near Km. Stone 165 Distt. Hisar, under forest division and District Hisar.


सन्दर्भ :- आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 1196 दिनांक 02.12.2021।

-0-0-0-

संदर्भकित पत्र द्वारा आपने एफ0सी0ए0 1980 के तहत गाव बरवाला में प्रट्रोल पम्प का प्रस्ताव तैयार करके इस कार्यालय में भेजा है। प्रस्ताव का अवलोकन करने उपरान्त निम्नलिखित त्रुटिया पाई गई:-

1. उक्त प्रस्ताव में PWD व Town Country Planning की NOC गाव खेदड के नाम से वर्ष 2004 में ली गई है जबकि आपके द्वारा गाव बरवाला के नाम से प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है।
2. उक्त प्रस्ताव में पट्रोल पम्प का Lease Agreement श्री सतीश कुमार पुत्र श्री कसतुरी लाल के नाम से 01 अप्रैल 2004 का है। जबकि Hindustan Petroleum Corporation Limited के Dealership Agreement अनुसार श्री विरेन्द्र कुमार के नाम से 31 मार्च 2010 का है।
3. Hindustan Petroleum Corporation Limited के Dealership Agreement अनुसार 31 मार्च 2010 से 10 वर्षों तक हुआ है उसमें भी अगर पट्रोल पम्प 05 वर्षों तक सफलता पूर्वक चला तो Agreement आगे बढ़ाया जायेगा, परन्तु बीते 5 वर्षों में पट्रोल पम्प चला ही नहीं तो Agreement 29 फरवरी 2015 को समाप्त हो गया है उपरोक्त अवस्था अनुसार पट्रोल पम्प के मालिक को उक्त पट्रोल पम्प के लिये Dealership Agreement दोबारा तैयार करवाना चाहिए।
4. NHAI Agreement अनुसार भी उक्त प्रस्ताव में 19 अक्टुबर 2006 को गाव खेदड में पट्रोल पम्प लगाने के लिये NOC जारी कि हुई है।
5. उक्त पट्रोल पम्प में PWD व Town Country Planning की NOC गाव खेदड के नाम से 2004 में ली गई है। जबकि Hindustan Petroleum Corporation Limited के Dealership Agreement श्री विरेन्द्र कुमार के नाम 31 मार्च 2010 का है जो गाव बरवाला के नाम से है।

अतः आपको प्रस्ताव मूल रूप में वापिस भेजते हुए निर्देश दिये जाते है कि उक्त त्रुटियों को दुर करके प्रस्ताव पुनः तैयार करके इस कार्यालय में भेजे ताकि आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सके।


13/12
मुख्य वन संरक्षक,
पश्चिमी परिमण्डल, हरियाणा, o/c
हिसार।
